सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 168 राँची, सोमवार, 30 चैत्र, 1948 (श०) / 20 अप्रैल, 2026 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

11 मार्च, 2026

संख्या-एल0जी0-06/2025-07/लेज०,--झारखंड विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-09/03/2026 को अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025

(झारखण्ड अधिनियम- 03, 2026)

विषय सूची

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ

2. अध्याय -2 की धारा 4 की उपधारा (3)(i) में संशोधन

3. अध्याय -2 की धारा 4 की उपधारा (3)(ii) को विलोपित किया जाता है।

4. अध्याय -2 की धारा 4 की उपधारा (3)(iii) में संशोधन

5. अध्याय -2 की धारा 4 की उपधारा (4)(i) में संशोधन

6. अध्याय -2 की धारा 4 की उपधारा (4)(ii) में संशोधन

7. अध्याय -2 की धारा 4 की उपधारा (4)(iii) में संशोधन

8. अध्याय -2 की धारा 4 की उपधारा (5) को विलोपित किया जाता है।

9. अध्याय -2 की धारा 5 को विलोपित किया जाता है।

10. अध्याय -2 की धारा 7 की उपधारा (1) में संशोधन

11. अध्याय -2 की धारा 4 की उपधारा 8 (3)(झ) में संशोधन

झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025

पर्यटन विकास प्राधिकारों के क्रियान्वयन में सरलता, त्वरित कार्य संचालन एवं प्रशासनिक समस्याओं के निराकरण के लिए प्रधिकार के स्वरूप में बदलाव हेतु झारखण्ड पर्यटन विकास एवं निबंधन (सशोधन) अधिनियम, **2025** अधिनियमित हो।

झारखण्ड विधानसभा द्वारा भारत के गणराज्य के छिहतरवे वर्ष में अधिनियमित किया जाता है।

1.संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ -

(क) यह अधिनियम झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहलाएगा।

(ख) यह झारखण्ड राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र पर लागू होगा।

(ग) यह राजकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगा।

2. अध्याय -2 की धारा 4 की उपधारा (3)(i) में संशोधन

झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम, 2015 अध्याय -2 की धारा 4 की उपधारा (3)(i) को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाता है:- "प्राधिकार में एक अध्यक्ष, एक प्रबंध निदेशक एवं एक सदस्य सचिव होगा, जो राज्य सरकार द्वारा नामित किए जायेंगे।"

3. अध्याय -2 की धारा 4 की उपधारा (3)(ii) को विलोपित किया जाता है।

4.अध्याय -2 की धारा 4 की उपधारा (3)(iii) में संशोधन

झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम, 2015 अध्याय -2 की धारा 4 की उपधारा (3)(iii) को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाता है:-

"संबंधित जिले के उपायुक्त प्राधिकार के अध्यक्ष होंगे।"अगर किसी प्राधिकार के अन्तर्गत दो जिलों के क्षेत्र आएँगे तो क्षेत्रफल व सुगमता के आधार पर किसी एक जिले के उपायुक्त को अध्यक्ष व इसी प्रकार अन्य सस्दयों को विभाग द्वारा नामित किया जाएगा।

5. अध्याय -2 की धारा 4 की उपधारा (4)(i) में संशोधन

झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम, 2015 अध्याय -2 की धारा 4 की उपधारा (4)(i) को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाता है:-

"संबंधित जिले का उप विकास आयुक्त या जैसा सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया पदाधिकारी प्राधिकार का प्रबंध निदेशक होगा। प्रबंध निदेशक प्राधिकार का उपाध्यक्ष भी होगा तथा इससे संबंधित समस्त कार्यों का निर्वाहन करेगा।"

6. अध्याय -2 की धारा 4 की उपधारा (4)(ii) में संशोधन

झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम, 2015 अध्याय -2 की धारा 4 की उपधारा (4)(ii) को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाता है:-

"प्राधिकार के सदस्य सचिव के रूप में जिला पर्यटन नोडल पदाधिकारी अथवा राज्य प्रशासनिक सेवा के (मूल कोटि) के पद से अन्युन स्तर के पदाधिकारी को नामित किया जायेगा।"

7. अध्याय -2 की धारा 4 की उपधारा (4)(iii) में संशोधन

झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम, 2015 अध्याय -2 की धारा 4 की उपधारा (4)(iii) को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाता है:-

"प्राधिकार के सदस्य सचिव अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक के सामान्य मार्गदर्शन के अधीन अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कर्त्तव्यों का पालन करेगा"

(क) वह प्राधिकार की ओर से सभी धन प्राप्त करेगा तथा उसके लिए रसीद देगा और उसका समुचित लेखा रखेगा;
(ख) वह प्राधिकार की निधि से वेतन और भत्तों के भुगतान तथा प्राधिकार के खर्चो को पूरा करने के लिए धन निकालेगा;
(ग) वह प्राधिकार के किसी आदेश को अभिप्रमाणित करेगा;

8. अध्याय -2 की धारा 4 की उपधारा (5) को विलोपित किया जाता है।

9. अध्याय -2 की धारा 5 को विलोपित किया जाता है।

10. अध्याय -2 की धारा 7 की उपधारा (1) में संशोधन

झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम, 2015 अध्याय -2 की धारा 7 की उपधारा (1) को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाता है:-

"प्राधिकार की साधारण बैठक, प्रतिमाह अध्यक्ष द्वारा नियत तिथि, समय और स्थान पर होगी।"

11. अध्याय -2 की धारा 4 की उपधारा 8 (3)(झ) में संशोधन

झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम, 2015 अध्याय -2 की धारा 4 की उपधारा 8(3)(झ) को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाता है:-

"को अपने क्षेत्र की सड़को, मकान की नालियों, भूमि और प्राधिकार की सम्पति पर हुए अतिक्रमण को हटाने के प्रयोजनार्थ झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 अध्याय-17, 25, 26, 27, 37 एवं धारा 606 (2) में यथा निविर्दिष्ट नगरपालिका के सक्षम प्राधिकार की शक्तियाँ होंगी।

"12. झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम, 2015 की शेष धाराएँ यथावत् रहेगी।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(नीरज कुमार श्रीवास्तव),
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

11 मार्च, 2026

संख्या- एल0जी0-06/2025-08/लेज-झारखंड विधान सभा द्वारा यथा पारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-09/03/2026 को अनुमत झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

Jharkhand Tourism Development and Registration (Amendment) Act, 2025.

(**Jharkhand Act- 03, 2026**)

Jharkhand Tourism Development and Registration (Amendment) Act, 2025 should be enacted to change the form of the authority for ease of implementation of tourism development authorities, quick work transaction and resolution of administrative problems.

Enacted by the Jharkhand Legislative Assembly in the Seventy-sixth Year of the Republic of India.

1. Short title, extent and commencement -

(a) This Act may be called the Jharkhand Tourism Development and Registration (Amendment) Act, 2025.
(b) It extends to the whole of the State of Jharkhand.
(c) It shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. Amendment in sub-section (3)(i) of section 4 of chapter-2

Sub-section (3)(i) of section 4 of chapter-2 of Jharkhand Tourism Development and Registration Act, 2015 is amended as follows:-

"The Authority shall consist of a Chairman, a Managing Director and a Member Secretary, who shall be nominated by the State Government."

3. Sub-section (3)(ii) of section 4 of Chapter-II is omitted.

4. Amendment in sub-section (3)(ii) of section 4 of chapter-2

Sub-section (3)(ii) of section 4 of chapter-2 of Jharkhand Tourism Development and Registration Act, 2015 is amended as follows:-

"The Deputy Commissioner of the concerned district shall be the Chairman of the Authority."

If any authority covers areas of two districts then on the basis of area and accessibility, the Deputy Commissioner of one of the districts will be nominated as Chairman and similarly other members will be nominated by the department.

5. Amendment in sub-section (4)(i) of section 4 of chapter-2

Sub-section (4)(i) of section 4 of chapter-2 of Jharkhand Tourism Development and Registration Act, 2015 is amended as follows:-

"The Deputy Development Commissioner of the concerned district or such officer as may be notified by the Government shall be the Managing Director of the Authority. The Managing Director will also be the Vice-Chairman of the Authority and carry out all the appertain functions in this regard."

6. Amendment in sub-section (4)(ii) of section 4 of chapter-2

Sub-section (4)(ii) of section 4 of chapter-2 of Jharkhand Tourism Development and Registration Act, 2015 is amended as follows:-

"The District Tourism Nodal Officer or an officer not below the rank of State Administrative Service (basic grade) shall be nominated as Member Secretary of the Authority."

7. Amendment in sub-section (4)(ii) of section 4 of chapter-2

Sub-section (4)(ii) of section 4 of chapter-2 of Jharkhand Tourism Development and Registration Act, 2015 is amended as follows:-

"The Member Secretary of the Authority shall, under the general guidance of the Chairman or Managing Director, among other things, perform the following duties:-

(a) He shall receive all the monies on behalf of the Authority and issue receipt and maintain proper accounts for the same;

(b) He shall withdraw money from the Fund of the Authority to make payment of salaries and allowances and for the expenses of the Authority;

(c) He shall attest any order of the Authority;

8. Sub-section (5) of section 4 of Chapter-II is omitted.

9. Section 5 of Chapter-II is omitted.

10. Amendment in sub-section (1) of section 7 of chapter-2

Sub-section (1) of section 7 of chapter-2 of Jharkhand Tourism Development and Registration Act, 2015 is amended as follows:-

"The ordinary meeting of the Authority shall be held every month on the date, time and place as may be determined by the Chairman."

11. Amendment in sub-section 8 (3) (i) of section 4 of chapter-2

Sub-section 8 (3) i of section 4 of chapter-2 of Jharkhand Tourism Development and Registration Act, 2015 is amended as follows:-

He shall have the powers of the Competent Authority as specified in Chapters 17, 25, 26, 27, 37 and section 606 (2) of the Jharkhand Municipal Act, 2011 for the purposes of removal of encroachments on roads, house drains, land in the development area and properties of the Authority.

12. The remaining sections of Jharkhand Tourism Development and Registration Act, 2015 will remain the same.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(नीरज कुमार श्रीवास्तव),
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 168 - 50